

कार्यादेश

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बेरीनाग ।

पत्रांक मैमो / सा0नि0 / कार्यादेश / 2022-23 / दिनांक 8-6-2022

श्री उमेश चन्द्र पंत

ग्रा.प्र.वि.अ.

विकास खण्ड बेरीनाग

आपके क्षेत्र में मा0सांसद श्री अजय टम्टा द्वारा योजना ग्राम पंचायत बौगाड के छुरमल मन्दिर केसमीप में स्थल विकास कोष वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत निम्न सामूहिक उपयोगिता की योजना स्वीकृत की गयी है
योजना-ग्राम

पंचायत बौगाड के छुरमल मन्दिर केसमीप स्थल विकास
स्वीकृत धनराशि 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार मात्र)

अतः आप निम्न प्रतिबन्धों के साथ कार्य प्रारम्भ करें ।

- 1- योजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्ण कनिष्ठ अभियन्ता (आर.डब्ल्यू.डी) से स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर तकनीकी निर्देशानुसार कार्य प्रारम्भ करें।
- 2- योजना में स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जायेगा।
- 3- दैनिक श्रमिकों को कुल रू0 213 .00 प्रतिदिन मजदूरी देय होगी।
- 4- योजना के कार्यस्थल पर मजदूरों का मस्टररौल रखा जायेगा। जिसमें दैनिक उपस्थिति ली जायेगी, जिसे ग्राम विकास अधिकारी/कार्यप्रभारी द्वारा भरा जायेगा।
- 5- टोलीनायक उसी व्यक्ति को बनाया जाय जिसे इस सम्बन्ध में कार्य का पर्याप्त अनुभव हो।
- 6- प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- 7- योजना में भुगतान संबन्धित कनिष्ठ अभियन्ताओं की संस्तुति पर ही सम्भव होगा, द्वितीय/अन्तिम भुगतान योजना का मूल्यांकन प्रस्तुत करने पर ही सम्भव होगा, भुगतान हेतु वांछित प्रपत्र तथा मस्टररौल/व्यय भावचर आदि प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय नियमों के तहत भुगतान सम्भव हो पायेगा। निर्मित विकास कार्य का कार्यपूति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- 8- योजना पूर्ण होने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9- योजना का कार्य गुणवत्ता के साथ छः माह तक हर दश में पूर्ण करें।
- 10- योजना स्थल में बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
- 11- योजना के फोटोग्राफ अन्तिम भुगतान से पूर्व कार्यालय में जमा करने होंगे।
- 12- वन अधिनियम का पूर्ण ध्यान दिया जाय।
- 13- सामाग्री क्रय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत ही कि जायेगी।
- 14- योजना में विवाद होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराना होगा।
- 15- अ0जा0/ज0जा0 हेतु स्वीकृत कार्य अ0जा0/ज0जा0 बस्ती में ही कराये जाय।
- 16- सम्पर्क मार्ग में किसी भी दश में खडन्जा मार्ग नहीं बनाया जायेगा। उसमें सी0सी0 मार्ग का कार्य किया जायेगा।

खण्ड विकास अधिकारी,
बेरीनाग।

प्रतिलिपि- 1. अवर अभियन्ता (आर.डब्ल्यू.डी) (लघु सिचाई) विकास खण्ड बेरीनाग को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित को निर्माण कार्य हेतु समय-समय तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें तथा तकनीकी मार्ग निर्देश देना सुनिश्चित करें।

2. प्रधान ग्राम पंचायत बौगाड को सूचनार्थ प्रेषित।

खण्ड विकास अधिकारी
बेरीनाग (पिथौरागढ़)